यात्रा भत्ता नियम

- परिवार से आशय
- पति/पत्नी, आश्रित वैधानिक बच्चों (गोद लिया गया बच्चा सहित),
- सौतेले बच्चों से हैं, जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हो तथा उस पर पूर्ण रुप से आश्रित हों।
- स्थानान्तरण तथा अन्य सभी यात्रा के लिए सरकारी कर्मचारी के साथ रहने वाले तथा उस पर पूर्ण रुप से आश्रित उसके माता–पिता, अविवाहिता बहनें और अविवाहित भाई, भी परिवार में सम्मिलित है।

- गोद ली गई सन्तान की बैध (धर्मज) सन्तान माना जायेगा, यदि शासकीय सेवक ने लागू वैधानिक विधि से गोद लिया हो।

- परन्तु शासकीय सेवक की उन धर्मज पुत्रियां, सौतेली पुत्रियां तथा बहनों को उस पर आश्रित नहीं माना जायेगा जिनका गौना या रुखसत हो चुका हो।

(नियम 6)

यह नियम सरकारी कार्यहित में यात्रा करने वाले सभी राज्य कर्मचारियों एवं गैर सरकारी व्यक्तियों पर लागू है।

(नियम 12)

यात्रा भत्ता के दावे यात्रा के समय प्रवृत्त नियमानुसार विनियमित होंगे तथा इनका पुनरीक्षण पूर्व तिथि से वेतन में वृद्धि के कारण संभव नहीं

(नियम 12 ए)

यात्रा का प्रारम्भ एवं अन्त सामान्यतः जिलाधिकारी कार्यालय पर होगा परन्तु यदि यात्रा के प्रारम्भ या अन्त में स्थान पर जिलाधिकारी कार्यालय न हो, तो यात्रा के प्रारम्भ या अन्त का वास्तविक स्थान रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन से 8 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित हो तो यात्रा के प्रारम्भ या अन्त के वास्तविक स्थान तक मील भत्ता देय होगा।

.

(नियम 14)

यात्रा भत्ता एक प्रतिकर भत्ता है। इसको इस प्रकार लिया जाना चाहिए कि यह कुल मिलाकर प्राप्तकर्ता को लाभ का साधन न हो।

सरकारी सेवक द्वारा भत्ते का दावा उसके द्वारा की गयी यात्रा के समय लागू नियमों के अनुसार किया जाना चाहिये न कि दावे के समय लागू नियमों के अनुसार

राजकीय सेवक को देय तिथि के एक वर्ष पश्चात् यात्रा भत्ता के लिए प्रेषित दावा को कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(नियम–74(बी)वि0नि0सं0 खण्ड–5, भाग–1)

पूर्णगामी प्रभाव से पदोन्नति होने अथवा वेतन की दर में वृद्धि स्वीकृत किये जाने के कारण यात्रा भत्ता दावे का पुनरीक्षण अनुमन्य नही है।

(नियम 12)

मुख्यालय से 8 कि0मी0 के अन्दर या नगर निगम की सीमा जो भी अधिक हो की गयी यात्राओं के लिए साधारणतः कोई यात्रा भत्ता देय नही होता है परन्तु फैरी, टोल या रेल भाड़ा आदि का वास्तविक व्यय लिया जा सकता है।

(नियम 26)

एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण की दशा में सरकारी सेवक का वर्गीकरण उन दोनो में से निचले पद के संदर्भ में किया जाता है।

(नियम 19)

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को शासकीय कार्यवश यात्रा के लिए नियमित राजकीय सेवकों को देय दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता ग्राह्य है। जिस माह में यात्रा की जाती है उसके लिए अन्तिम रुप सें देय दैनिक वेतन को यात्रा भत्ते की प्रदेयता हेतु आधार माना जायेगा।

(नियम – 21 सी)

विभागीय जाँच में साक्षी हेतु बुलाये जाने पर गैर सरकारी व्यक्तियों को यात्रा भत्ता एवं भोजन व्यय, आपराधिक मामलों में साक्षी हेतु बुलाये गये सरकारी गवाहों हेतु निर्धारित मानक के अनुसार देय है।

(नियम 20 ए)

यात्रा भत्ता की अनुमन्यता :

साधारण यात्राओं के लिए देय भत्ते में निम्न मदें सम्मिलित हैं। दौरे पर और प्रशिक्षण हेतु यात्राऐं भी साधारण यात्राओं में सम्मिलित हैं।

दैनिक भत्ता

सरकारी सेवक को राजकीय कार्य से अपने मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर 8 घन्टे या अधिक अवस्थान करने पर उस दिन के लिए नियम 27(ए)(ए)(11) तथा 27(बी)(1)ए(।।) के अधीन नियम 23 (सी) (।) में निर्धारित दर पर नियम –27 (डी) के उपबन्धों के अन्तर्गत दैनिक भत्ता ग्राहय होता है।

नियम –23 (सी)(1)

अनुमन्य यात्रा साधन एवं सीमा तक वस्तुतः भुगतान किया गया किराया। किराये में आरक्षण शुल्क एवं सरचार्ज सम्मिलित हैं तथा सरकारी कार्यहित में यात्रा रद्द होने पर टिकट निरस्तीकरण एवं आरक्षण शुल्क आदि के जब्त होने पर हुई क्षति का दावा प्रासंगिक व्यय के रूप में देय है।

(नियम 23 ए ए ए)

दौरे पर एक स्थान पर 10 दिन के निरन्तर अवस्थान से अधिक दैनिक भत्ता ग्राह्य नहीं है। शासन या इस हेतु प्राधिकृत शासन के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा दौरे पर 30 दिन तक के अवस्थान पर पूर्ण दर से दैनिक भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है। इसके पश्चात् 150 दिन तक दैनिक भत्ता आधी दर पर देय है और कुल 180 दिन के बाद कोई दैनिक भत्ता देय नहीं है।

(नियम 27 डी (1)) एवं (2)

मुख्यालय से बाहर प्रशिक्षण पर दैनिक भत्ता 45 दिन तक पूरी दर पर और उसके अगले 135 दिन तक आधी दर पर देय है। कुल 180 दिन के उपरान्त कोई दैनिक भत्ता देय नहीं है।

180 दिन से अधिक के प्रशिक्षण पर राज्य कर्मचारी ऊपर बतायी गयी दरों पर दैनिक भत्ता ले या केवल स्वयं अपने लिये स्थानान्तरण यात्रा भत्ता लेने पर उसे प्रशिक्षण की अवधि का दैनिक भत्ता देय न होगा।

(नियम 27 डी (3)

दैनिक भत्ता की दरें

क्र0 स0	वेतन	प्रदेश के भीतर		प्रदेश के बाहर		सडक किलो मीटर भत्ता (प्रति कि.मी)	प्रतिदिन की स्थानीय यात्राओं (केवल प्रदेश के बाहर के मामलों में लागू) हेतु अकधिकतम सीमा
		अवस्थापना (Accomodation)	दैनिक भत्ता	अवस्थापना (Accomodation)	दैनिक भत्ता		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16 एवं उच्च	2000	700	6500	800	12	वास्तविक
2	13 ए, से 15	1500	600	4500	700	10	वास्तविक
3	10 से 13	1000	450	2250	500	08	200
4	6 से 9	400	350	750	400	07	150
5	1 से 5	250	250	450	300	07	100

1– यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी

क्र0 स0	वेतन स्तर	यात्रा की श्रेणियां		
		वायुयान	रेल	सड़क
1	2	3	4	5
1	16 एवं उच्च	बिजनेस क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी /शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस/वोल्बो
2	13 ए, से 15	इकोनामी	ए.सी. प्रथम श्रेणी /शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस/वोल्बो
3	10 से 13	–	ए.सी. टू टियर/ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस
4	6 से 9	–	ए.सी. थ्री टियर/ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस
5	1 से 5	–	स्लीपर क्लास/ साधारण चेयर कार	साधरण बस

- ऐसे स्थान जो रेल से न जुडे हो ए.सी. टू टीयर अथवा उच्च श्रेणी से यात्रा हेतु सेवक ए.सी बस से यात्रा कर सकते हैं।

- अन्य कार्मिक डीलक्स/साधारण बस यात्रा से अधिकृत ।

• शासकीय गेस्ट हाउस/विश्राम गृहों/होटल आदि में अवस्थान की दशा में तालिका के स्तम्भ 3 अथवा 5 में अंकित धनराशि जैसी भी स्थिति हो की अधिकतम सीमा तक दैनिक आधार पर अवस्थापना भत्ता, स्तम्भ 4 अथवा 6, जैसी भी स्थिति हो में उल्लिखित दैनिक भत्ते के अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में बिल/वाउचर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- उक्त तालिका के स्तम्भ 4 अथवा 6 जैसी भी स्थिति हो में अनुमन्य दैनिक भत्ता की गणना वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 के सुसंगत नियमों के अंतर्गत की जायेगी।

- निःशुल्क आवास व्यवस्था होने पर ठहरने के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

- होटल में यदि सुबह का नाश्ता प्रतिदिन के किराये में शामिल है तो दैनिक भत्ते की धनराशि में से 25 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

- यदि होटल के अवस्थान में 02 Meals शामिल हैं तो दैनिक भत्ते की धनराशि में 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

- यदि होटल के अवस्थान में 03 Meals शामिल हैं तो दैनिक भत्ते की धनराशि में 75 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

- निजी व्यवस्था मे अवस्थान करने पर तालिका के स्तम्भ 3 अथवा 5 में अनुमन्य दरों के स्थान पर स्तम्भ 4 अथवा 6 का 1.5 गुना दैनिक भत्ता प्रतिदिन के आधार पर अनुमन्य होगा।

- निजी व्यवस्था में अवस्थान करने पर अवस्थान भत्ता अतिरिक्त रूप में अनुमन्य नहीं होगा।

- ***पूर्व प्रचलित अनुषांगिक व्यय की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।***

(9) यात्रा पर जाते समय तथा गंतव्य स्थान की वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशनल/एयरपोर्ट के बीच की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिये सड़क किलोमीटर भत्ता उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–10 अनुरूप ग्राह्य होगा। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक उक्त स्थानीक/अल्प दूरी सम्बंधी यात्राओं के लिये स्तम्भ–10 में उल्लिखित सड़क किलोमीटर भत्ते की धनराशि का 1.5 गुना अनुमन्य होगा। सड़क किलोमीटर भत्ता की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी।

स्थानान्तरण

एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट)

(ख)स्थानांतरण यात्रा भत्ता। (धनराशि रू0 में)

क्र.स.	वेतन स्तर	यात्रा श्रेणी			समान की अधिकतम सीमा एवं दर (30 पैसे प्रति कि.मी. प्रति कुन्तल)	एकमुश्त स्थानांतरण अनुदान	स्थानांतरण पर वाहन की ढुलाई की प्रतिपूर्ति
		हवाई	रेल	सड़क			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16 एवं उच्च	बिजनेस क्लास	ए.सी.प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस/वोल्वो	60 कुन्तल	50 कि.मी. तक स्थानांतरण होने की स्थिति में वेतन स्तर के न्यूनतम का 5 प्रतिशत तथा 50 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थानांतरण होने पर वेतन स्तर के न्यूनतम का 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 25000/– धनराशि) एकमुश्त अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी।	एक मोटर कार अथवा एक मोटर साईकिल/स्कूटर
2	13 ए से 15	इकोनोमी	ए.सी.प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस/वोल्वो	60 कुन्तल	–तदैव–	–तदैव–
3	10 से 13	–	ए.सी. टू टियर/ ए.सी. चेयर कार	ए.सी बस	60 कुन्तल	–तदैव–	–तदैव–
4	5 से 9	–	ए.सी. थ्री टियर/ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	30 कुन्तल	–तदैव–	एक मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड/साईकिल
5	1 से 4	–	स्लीपर क्लास/साधारण चेयर कार	साधारण बस	15	–तदैव–	–तदैव–

(10) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन सेवानिवृत्ति पर भी उक्तानुसार स्थानांतरण यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा।

(11) विदेश यात्राओं हेतु भारत सरकार के प्राविधान यथावत लागू होंगे।

(12) अखिल भारतीय सेवा में अधिकारियों हेतु वायुयान की श्रेणियां भारत सरकार में तत्समय प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप होंगी।

विशेष यात्राएं

1 परीक्षाओं में सम्मिलित होने की यात्रायें

(नियम 46)

2 चिकित्सक परामर्श प्राप्त करने या बीमार सरकारी सेवक के साथ जाने की यात्रायें

2 चिकित्सक परामर्श प्राप्त करने या बीमार सरकारी सेवक के साथ जाने की यात्रायें

चिकित्सक परामर्श प्राप्त करने या बीमार सरकारी सेवक के साथ जाने की यात्राये

। अधिवर्षता, या स्वेच्छा सेवानिवृत्ति पर या सेवाकाल में मृत्यु पर यात्रा भत्ता :

(नियम 81 बी)

अधिवर्षता, या स्वेच्छा सेवानिवृत्ति पर या सेवाकाल में मृत्यु पर यात्रा भत्ता :

(नियम 81 बी)

मृत राज्य कर्मचारी के परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसके स्थायी निवास तक जाने हेतु राज्य कर्मचारी को अनुमन्य श्रेणी की सीमा तक वास्तविक किराया, आनुषंगिक व्यय तथा स्थानान्तरण के समय अनुमन्य भार सीमा तक घरेलू सामान की ढुलाई का वास्तविक व्यय देय है।

(नियम 81 ए)

प्रक्रिया सम्बन्धी नियम

नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये बिना यात्रा भत्ता देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा।

शासन के स्पष्ट आदेश बिना कोई अधिकारी स्वयं अपना नियंत्रक अधिकारी नहीं होगा। ऐसे अधिकारियों, जो स्वयं अपने नियंत्रक अधिकारी है, उन्हें शासन द्वारा सूचीबद्व किया गया है।

जो अधिकारी उक्त सूची में नहीं है, उन के यात्रा देयक अगले उच्चतर प्रशासकीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

(नियम 88)

यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व हर राज्य कर्मचारी, यदि वह स्वयं अपना नियंत्रक अधिकारी न हो, को अपने नियंत्रक अधिकारी से यात्रा के लिए स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।

यदि शीघ्रता के कारण पूर्व स्वीकृति प्राप्त न की जा सके जो यात्रा के पश्चात् यह स्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावे।

(नियम 89 ए)

- यात्रा भत्ता देयक पर प्रतिहस्ताक्षर करने से पूर्व नियंत्रक अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह यात्रा की आवश्यकता और अवधि तथा अवस्थानों, दूरियों ले जाये गये घरेलू सामान की मात्रा आदि की बारीकी से जाँच करे और यदि उसके मतानुसार यात्रा अनावश्यक रूप से बढ़ायी गयी हो या अनावश्यक रूप से लम्बे समय के लिए अवस्थान किया गया हो तो उसे स्वीकृत न करें।

(नियम 91)

स्वयं आश्वस्त हो लें कि यात्रा भत्ता प्राप्त करने वाले के लिये लाभ का स्रोत नहीं है,

शासन द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों का पालन करें।

(नियम 90)

नियंत्रक अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को यात्रा भत्ता देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर के अधिकार का प्रतिनिधायन केवल शासन द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश पारित करने पर ही करेंगे।

धन्यवाद